न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/0176 दर्ज तिथिः–13.05.2022

1. कमली देवी पत्नि नारायण उम्र 54 साल जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील, थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

...............वादीनी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सोन्या
2. इन्द्राज पुत्र छाजूराम
3. मांगूराम पुत्र छाजूराम
4. शिवराम पुत्र छाजूराम
   समस्त जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील, थानागाजी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित........
वादी अधिवक्ताः– गोपीराम शर्मा
प्रतिवादी अधिवक्ताः– नान्छूराम मीना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–15.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी आराजी खसरा संख्या 868/459 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम टोडा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी का मूल खसरा नम्बर 459 रहबा 0.58 है0 था। जिसमें वादीनी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व दादा सोन्या का 1/4 हिस्सा था। जिसका बटवारा इंतकाल संख्या 59 दिनांक 10.12.2010 वाके ग्राम टोडा दर्ज मंजूर सही किया गया। बाद बटवारा वादिनी के हिस्सा में खसरा संख्या 868/459 रकबा 0.43 है0 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पिता का व दादा सोन्या के हिस्सा में खसरा नम्बर 867/459 रकबा 0.14 है0 दर्ज कर कायम कर दिया और परन्तु राजस्व नक्शा में इन्द्राज बटवारा मुताबिक तरमीम गलत कर दी गई। राजस्व नक्शा में तरमीम मूल खसरें में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में कायम कर दिया। जबकि मौके [illegible] नक्शा पूर्व–पश्चिम लम्बाई में की जानी थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:02 IST
Reason: SelfAttested

2. हाल नक्शा लठ्ठा संवत 2060 संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों ने [illegible] मौके देखे, बिना साबिक रिकॉर्ड के जॉच किये ही नक्[illegible]का अंकन उत्तर से [illegible] लम्बाई में अंकित कर दिया। जबकि वादी व प्रतिवादीगण की आराजी सडक के लगती हुई पूर्व–पश्चिम लम्बाई में स्थित है। अन्त में वादी ने हाल नक्शा में मुतनाजा आराजी की

तरमीम को कलमजन कर मुताबिक मौका व प्रस्तावित नक्शा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में सडक से लगते हुये प्रतिवादीगण की आराजी की तरमीम करते हुये हाल नक्शा वाके ग्राम टोडा दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वादपत्र के अनुतोष तथा मुख्य बिन्दुओं को स्वीकार करते हुये राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पास रोड पर 1/2 हिस्सा से अधिक आराजी है। जबकि प्रस्तावित नक्शा व खसरा संख्या 868/459/0.43 है0 के सडक के सामने का हिस्सा वादी का है। वादी व प्रतिवादीगण रजामन्दी व स्वेच्छा से राजीनामा कर रहे है। दावा डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

4. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि हाल नक्शा में मुतनाजा आराजी की तरमीम को कलमजन कर मुताबिक मौका व प्रस्तावित नक्शा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में सडक से लगते हुये प्रतिवादीगण की आराजी की तरमीम करते हुये हाल नक्शा वाके ग्राम टोडा दुरूस्त किया जावे। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दावा डिक्री किये जाने से कोई आपत्ति नही है।

5. वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजीय साक्ष्य स्वीकार किये जाकर निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित कर शामिल पत्रावली किये गयेः–
   1. जमाबन्दी संवत्–2076–79 वाकै ग्राम टोडा खाता–12
   2. जमाबन्दी संवत्–2076–79 वाकै ग्राम टोडा खाता–112
   3. नक्शा ट्रेस खसरा संख्या 868/459 व 867/459 वाके ग्राम टोडा
   4. मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त संवत्–2060
   5. नामान्तकरण संख्या–59, दिनांक 10.12.2010 वाके ग्राम टोडा

6. मैनें वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार हैः–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

> *1. Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

7. प्रकरण केवल तरमीम दुरूस्ती से सम्बंधित है जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य हाल खसरा संख्या 459/0.57 है वाके ग्राम [illegible] विभाजन पश्चात की गई तरमीम के समय हुई गलत अंकन को दुरूस्त क[illegible] वादी ने दावा प्रस्तुत किया है। वादी के दावे के बाबत प्रतिवादी [illegible] को स्वीकार कर राजीनामा प्रस्तुत किया है। अतः वादी द्वारा [illegible] अनुसार वादी व प्रतिवादी के जमाबंदी में दर्ज रकबे [illegible] की तरमीम किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी का दावा बाबत तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत तरमीम दुरूस्ती प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य हाल खसरा संख्या 459/0.57 है0 वाके ग्राम टोडा की विभाजन पश्चात की गई हाल खसरा संख्या 868/459/0.43 है0 तथा 867/459/0.14 है0 वाके ग्राम टोडा की तरमीम के समय हुई गलत अंकन को दुरूस्त कर वादी द्वारा प्रस्तावित नक्शें, मौके पर कब्जे के अनुसार वादी व प्रतिवादी के जमाबंदी में दर्ज रकबे के समानुपातिक क्षेत्रफल की तरमीम की जावें। राजस्व इन्द्राज बदस्तूर जारी रहे।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।
आज 15.05.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/0176 दर्ज तिथिः–13.05.2022

1. कमली देवी पत्नि नारायण उम्र 54 साल जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील, थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

...............वादीनी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र सोन्या
2. इन्द्राज पुत्र छाजूराम
3. मांगूराम पुत्र छाजूराम
4. शिवराम पुत्र छाजूराम
   समस्त जाति कुम्हार निवासी टोडा तहसील, थानागाजी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित........
वादी अधिवक्ताः– गोपीराम शर्मा
प्रतिवादी अधिवक्ताः– नान्छूराम मीना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–ःपर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत तरमीम दुरूस्ती प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य हाल खसरा संख्या 459/0.57 है0 वाके ग्राम टोडा की विभाजन पश्चात की गई हाल खसरा संख्या 868/459/0.43 है0 तथा 867/459/0.14 है0 वाके ग्राम टोडा की तरमीम के समय हुई गलत अंकन को दुरूस्त कर वादी द्वारा प्रस्तावित नक्शें, मौके पर कब्जे के अनुसार वादी व प्रतिवादी के जमाबंदी में दर्ज रकबे के समानुपातिक क्षेत्रफल की तरमीम की जावें। राजस्व इन्द्राज बदस्तूर जारी रहे।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।
यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 15.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 20:08:02 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)